फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :—श्रीमती गंगा बाई बनाम विपक्षी :—श्री बाबरी बाई व अन्य

किस्म मुकदमा — 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 24/24

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक 06.03.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सपठित धारा 151 जा.दी. पर लिखित जवाब पेश नही कर मौखिक सहमती देकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सपठित धारा 151 जा.दी. को स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सपठित धारा 151 जा. दी. का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि का जो वाद वादीया द्वारा पेश किया गया हैं उसी कृषि भूमि का वादीया द्वारा पूर्व में आप माननीय न्यायालय में एक वाद संख्या 104/21 अनवान भेरूलाल बनाम उंकार पेश किया हुआ है जिसमें आगामी पेशी दिनांक 28.11.2024 नियत हैं जिससे कानूनन नया वाद चलने योग्य नहीं हैं। अतः प्रस्तुत किये गये वाद में कार्यवाही रोके जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता वादी द्वारा मौखिक तौर पर अपनी भुल को स्वीकार करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अतः वादग्रस्त भूमि का पुर्व में वाद विचाराधीन होने व अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा सहमत होने से प्रतिवादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सपठित धारा 151 जा. दी. का स्वीकार किया जाता हैं तथा वादी का वाद खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:18:21 IST
Reason: SelfAttested